


05.05.25

श्रीमान् जिला कलेक्टर वाइमेर के आदेश
क्रमांक-प() () कार्मिक /2023/4013
दिनांक 11.03.2023 के क्रम में यह पत्रावली
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु से
स्वनांतरित होकर प्राप्त हुई है। जो नए मुकदमा
रजिस्ट्रार में दर्ज होकर आगन्दा उभय पक्षकारन
दिनांक 20.06.25 को पेश हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO), वाइमेर


20.06.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में
अधिवक्ता वादी एवं वादी के नाम से
अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज
लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता
वादी एवं स्वयं वादी अपने वाद को लेकर
गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैखी' व
'अदम हालिरी' में इसी स्तर पर स्वार्जिन
किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिखल दफतर
हो व नंबर से कम हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO), वाइमेर